न्यायालय अंचल अधिकारी कुन्दा।

विविध वाद सं0–18/2022–23

कृष्ण कुमार यादव बनाम मनीया देवी

कमांक एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

10.9.25

आदेश

प्रस्तुत अभिलेख का संधारण प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में किया गया है।

उभय पक्ष को नोटिश निर्गत किया गया। नोटिस तामिला के पश्चात उभय पक्ष उपस्थित हुए एवं कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया ।

प्रथम पक्ष द्वारा अपने आवेदन में उल्लेखित किया है कि मौजा कुन्दा के खाता सं0 209 प्लॉट सं0 950, 953 रकवा 1.42 ए0 भूमि प्रसाद साहु वल्द जगमोहन साहु को केवाला सं0 552 दिनांक–06.03.1953 से विक्रेता नागो सिंह वो जागो सिंह पिता–प्रयाग सिंह कुन्दा से प्राप्त है जिसकी जमाबंदी पंजी II के पृष्ट सं0 32/1 पर ऑनलाईन 2018–19 तक निर्गत है परन्तु गलत वंशावली बनाकर मनीया देवी पति–दूर्गा साव के द्वारा गलत तरीके से भूमि की विक्री की जा रही है। द्वितीय पक्ष प्रसाद साहु के वंशज में नही आते है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा सुनवाई के क्रम में बतलाया गया कि उक्त जमीन में हमलोग का भी शेयर है इसलिए भूमि की विक्री की गई है। ईनका कहना है कि यह भूमि उन्हे बंटवारा से प्राप्त है। परन्तु उनके द्वारा कोई भी बंटवारानामा का कागजात संलंग्न नही किया गया है।

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा भी प्रतिवेदित है कि द्वितीय पक्ष द्वारा गलत वंशावली बनाकर भूमि की विक्री की जा रही है।

उभय पक्ष को इस वाद में कागजात दाखिल करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया है।

अभिलेख में संलंग्न कागजातों राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा सत्यापित जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि निबंधित केवाला सं0 552 दिनांक 06.03.1959 को प्रसाद साहु वल्द जगमोहन साहु को प्राप्त है। ऑनलाईन जमाबंदी प्रसाद साहु के नाम से कायम है। वर्ष 2015 तक सरकारी रसीद निर्गत है।

Scanned with OKEN Scanner

द्वितीय पक्ष के द्वारा न तो वंशावली ही समर्पित किया गया है और न ही बंटवारानामा का कागजात दाखिल किया गया। सुनवाई के क्रम में उनके द्वारा बतलाया गया कि प्रश्नगत भूमि में हमलोगों का भी शेयर है।

भूमि पैतृक सम्पति नही है केवाला द्वारा खरीदी गई भूमि है उक्त भूमि को विक्री करने का अधिकार प्रसाद साहु के परिवार का है। द्वितीय पक्ष न तो बंटवारानामा दाखिल किये और न ही वंशावली। प्रथम पक्ष के कथनानुसार द्वितीय पक्ष के वंशज में नही आते है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष का दावा प्रबल है। द्वितीय पक्ष अपना दावा सिद्ध करने में असफल रहे।

असंतुष्ट पक्ष इस मामले को सक्षम न्यायालय/अपीलीय न्यायालय में ले जाने को स्वतंत्र है। वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

10.9.25

अंचल अधिकारी,
कुन्दा।

10.9.25

अंचल अधिकारी,
कुन्दा।

Digitally signed by DEEPAK KUMAR MISHRA
Date: 2025.10.14 16:54:09 +05:30
Location: 10.84.229.90

Scanned with OKEN Scanner